

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1423/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(142)-2015
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 12, 13 एवं 14 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	माल का नाम और विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
12	सिगरेट/सिगार	नि0 या आ0	40%
13	बिना तम्बाकू युक्त पान मसाला	नि0 या आ0	40%
14	खैनी, जर्दा, सुर्ती, अन्य निर्मित तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी अपवर्जित है।	नि0 या आ0	40%

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।